

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.  
नेहरू सहकार भवन, तृतीय तल, 22 गोदाम, जयपुर

E-mail : gmscdcho@gmail.com

Ph. No. 0141-2740745, 2740544 Fax No. 0141-2740880

**अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना (एस टी पोप योजना)**

अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु पैकेज ऑफ प्रोग्राम (एस.टी. पोप) योजनाओं में अनुदान सामान्यतः इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा राशि रुपये 10,000/- रुपये में जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जाता है। अनुदान हेतु शत प्रतिशत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, उदयपुर द्वारा उपलब्ध करवायी जाती है। माडा एवं बिखरी जनजाति क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकतानुसार लघु एवं मध्यम ऋण नियमानुसार पात्र लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाते हैं।

**आवेदक की पात्रताएँ—**

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी एवं अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए
2. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
3. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला हो अथवा वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु. 54,300/- तथा शहरी क्षेत्र में रु. 60,120/- से अधिक नहीं हो, अथवा वार्षिक आय समकक्ष हो।
4. आवेदक द्वारा पूर्व में, निगम की किसी भी योजना में अनुदान प्राप्त नहीं किया गया हो।
5. आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था/निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।